भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *252
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 / 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पश्चिमी बंगाल में शत्रु संपत्तियों की स्थिति

***252 श्री सामिक भट्टाचार्यः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय पश्चिमी बंगाल में शत्रु संपत्तियों, विशेषकर पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का पृथक-पृथक जिले-वार ब्यौरा उपलब्ध कराता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल में कितनी शत्रु संपत्तियों की बिक्री की गयी और उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) पश्चिमी बंगाल में ऐसी कितनी शत्रु संपत्तियां हैं जिनपर अतिक्रमण किया गया है, और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या मंत्रालय कोलकाता के प्रमुख स्थानों जैसे बी.बी.डी. बाग, शेक्सपियर सरनी और तंगरा में शत्रु संपत्तियों के बारे में और इन संपत्तियों के लिए बनायी गयी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है; और

(ङ) मुद्रीकरण के प्रयासों सहित पश्चिमी बंगाल में शेष शत्रु संपत्तियों के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाएं क्या हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क)से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *252, दिनांक 18.12.2024

'पंश्चिमी बंगाल में शत्रु संपत्तियों की स्थिति' के संबंध में दिनांक 18.12.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *252 के उत्तर में उल्लिखित विवरणः

(क): पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान और चीन के नागरिकों द्वारा छोड़ी गई शत्रु संपत्तियों का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोई भी शत्रु संपत्ति नहीं बेची गई है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में स्थित शत्रु संपत्ति के संबंध में पट्टा किराया (लीज रेंट) के रूप में 69.72 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है।

(ग): अब तक किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर, पश्चिम बंगाल में स्थित पांच सौ छत्तीस (536) शत्रु संपत्तियों पर अतिक्रमण पाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट शत्रु संपत्ति के पदेन उप-अभिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो शत्रु संपत्ति के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत एक संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। शत्रु संपत्ति के ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध शत्रु संपत्ति नियम, 2015 के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अब तक, ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध उनचास (49) बेदखली की कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं।

(घ) और (ङ): एक शत्रु संपत्ति 78-ए एंड बी शेक्सपियर सरनी और दूसरी शत्रु संपत्ति 47, साउथ तंगरा रोड, कोलकाता में स्थित है। शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत निकाले गए शत्रु संपत्ति निपटान आदेश, 2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट, जहां वह संपत्ति स्थित है, की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति द्वारा ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन करके ई-नीलामी के जरिए शत्रु संपत्तियों की बिक्री की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्टों को अभिरक्षक द्वारा शत्रु संपत्ति निपटान समिति के समक्ष पेश किया जाता है, जो शत्रु संपत्ति के निपटान अथवा शत्रु संपत्ति के निपटान के तरीके के संबंध में केंद्र सरकार को अपनी सिफरिशें देती है।

*****

राज्य सभा तारांकित प्र.सं. *252 दिनांक 18.12.2024

अनुलग्नक

पश्चिम बंगाल में शत्रु संपत्तियों का जिला-वार ब्यौरा				
क्र.सं.	जिला	पाकिस्तान के नागरिकों की संपत्तियों की सं.	चीन के नागरिकों की संपत्तियों की सं.	निहित संपत्तियों की कुल सं.
1	अलीपुरद्वार	100	2	102
2	बिरहम	427	0	427
3	पश्चिम बर्धमान	1	0	1
4	पूर्व बर्धमान	625	0	625
5	कूचबिहार	711	0	711
6	दार्जिलिंग	0	13	13
7	हावड़ा	1	0	1
8	हुगली	38	0	38
9	जलपाईगुड़ी	391	5	396
10	कलिम्पोंग	0	17	17
11	कोलकाता	71	19	90
12	दक्षिण 24 परगना	23	0	23
13	मालदा	53	0	53
14	मुर्शिदाबाद	1728	0	1728
15	नादिया	88	0	88
16	पश्चिम मिदनापुर	18	0	18
17	पूर्व मिदनापुर	6	0	6
18	दक्षिण दिनाजपुर	21	0	21
19	उत्तर दिनाजपुर	18	0	18
कुल योग		**4320**	**56**	**4376**

****